संख्या-1/2017/607/29-6-2017-300सा0/03टीसी

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 13 अप्रैल, 2017

विषय:- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की उचित दर की दुकानों के चयन, निलम्बन/ निरस्तीकरण एवं सम्बद्धीकरण के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3126/29-6-2004-300सा0/03टीसी, दिनांक 30-09-2004 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सभी दुकानों के निरीक्षण और उनके विरूद्ध दण्डात्मक (निलम्बन/ निरस्तीकरण) कार्यवाही का अधिकार जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी को भी प्रदान किया गया है। विभिन्न स्रोतों से शासन के संज्ञान में यह बात लायी जा रही है कि एक ही बिन्दु पर कार्यवाही जिला पूर्ति अधिकारी/उप जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी को कार्यवाही का अधिकार प्रदान कर दिया गया है, जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारू संचालन का दायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारियों को सौंपा गया है।

2- अत: उक्त शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुए इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उप जिलाधिकारी अपने तहसील में स्थित सभी दुकानों का निरीक्षण तो कर सकते हैं, किन्तु उनके विरूद्ध दण्डात्मक (निलम्बन/निरस्तीकरण) एवं बहाल की कार्यवाही जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से पत्रावली पर जिलाधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही करेंगे।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 30-09-2004 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1/2017/660(1)29-6-2017 तददिनांक ।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग,उ0प्र0लखनऊ।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

3- समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, उ0प्र0।

4- समस्त सहायक आयुक्त, खाद्य, उ0प्र0।

5- समस्त उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, उ0प्र0।

6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।